झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
Email- jepranchi@gmail.com "समग्र शिक्षा अभियान"

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चयन से संबंधित सूचना

विभागीय आदेश संख्या 3139 दिनांक 05.08.2023 के आलोक में जिला में संचालित 13 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तो के अधीन रिक्त शैक्षिक पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र बेबवाईट **www.dseranchi.com** के माध्यम से दिनांक 10.02.24 से 24.02.24 तक आमंत्रित किए जाते है । ऑनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउअ निकालते हुए अपने सभी अपलोड किए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र , जो अपलोड किया गया है की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति को एक लिफाफे में डालते हुए दिनांक 29.02.24 के अपराह्न 05 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से **जिला कार्यकम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची, मध्य विद्यालय बी.एम.पी डोरण्डा परिसर, राँची पिन कोड 834002** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे । पूर्व में स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या PR288868 Human Resource Deveplopment (22-23)#D को रद्द किया जाता है ।

रिक्ति की विवरणी :

Sl No	Name of Post	Vacancy	UR	BC-1	BC-2	SC	ST	EWS	Total
	कक्षा 06 से कक्षा 08								
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– भाषा (हिन्दी/अंगेजी)	07	03	01	00	01	01	01	07
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– गणित	03	01	00	00	00	01	01	03
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– विज्ञान	04	01	00	00	01	01	01	04
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– सा० विज्ञान	03	01	00	00	01	01	00	03
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)– शारीरिक शिक्षा	05	01	00	00	01	02	01	05
6	लेखापाल–सह–कम्पयूटर ऑपरेटर	04	01	00	00	01	01	01	04

2. लिफाफे के उपर **लाल रंग** से **ऑनलाईन आवेदन पत्र संख्या** निश्चित रूप से अंकित होना अनिवार्य होगा । अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन पत्र स्वीकार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएगें ।

127
06.2.24

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि :–

क०सं०	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
01	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा	1. **शैक्षणिक अहर्ता** : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय **(जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा कमांक 1 से 05 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो)** में **न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक** के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी । चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी । 2. **प्रशैक्षणिक अहर्ता** :– क० स० 01 से 04 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता । शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/Degree in Physical Education अनिवार्य होगा । 3. **शिक्षक पात्रता परीक्षा** :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 06 से 08 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा । राज्य सरकार द्वारा टी.ई.टी की वैधता आजीवन मान्य किया गया है ।	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 15,840/– प्रतिमाह देय होगी । 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियम प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्वि देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250/– रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी ।
02	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – गणित		
03	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान		
04	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – समाजिक विज्ञान		
05	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – शारीरिक शिक्षिका		

06	पूर्णकालिक – लेखापाल–सह–कम्पयूटर ऑपरेटर (महिला)	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से बी.कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता । 2. तकनीकि अहर्ता :– किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्पयूटर कोर्स में पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता । 3. हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्पयूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू० 11,880/– प्रतिमाह देय होगी । 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 150/– रू० की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । 3. 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियम प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी ।

चयन संबंधी दिशा–निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्ते निम्नवत् है :–

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे । पुरूष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा ।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा ।
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान वेवसाईट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुसार ही अपना आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करेगे, अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
5. **आयु सीमा :–**

   I. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक सं० 29 दिनांक 04.01.2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

127
06.2.24

Sl No	Category	Maximum Age Limit
1	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
2	SC/ST (Male/Female)	40
3	Person with Bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

   II. भूतपूर्व सैनिको (Ex-Serviceman) को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

   III. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.06.2023 के आधार पर की जायेगी ।
6. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय/झारखंड बालिका आवसीय विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक/अंशकालिक/घंटी आधारित शिक्षिकाओं को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52 वीं एवं 64 वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरूद्व 01 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा/मेधांक में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई है साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5 प्रतिशत की सीमा तक छूट, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने करने वाले को दी जा सकती है। के.जी.बी.भी/जे.बी.ए.भी में पूर्व से कार्यरत अंशकालिन/घंटी आधारित शिक्षिकाओं को उम्र सीमा में कार्यावधि के समतुल्य की छूट प्रदान की जाएगी ।
7. **ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :–**

   I. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा स्वः अभिप्रमाणित की छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

   II. कंडिका 06 के आलोक में अनुभव प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

   III. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी ।

   IV. झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति (जिसे अपलोड किया जाना अनिवार्य है) संलग्न की जाएगी।
8. कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा ।

9. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा । चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा ।
10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रकिया किसी भी समय स्थगित/रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची को सुरक्षित रहेगा ।
11. चयन से संबंधित सभी दिशा निदेश उपरोक्त वर्णित वेवसाईट www.dseranchi.com पर उपलब्ध रहेगें तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर जानकारी हेतु वेवसाईट का अवलोकन करते रहेंगे ।
12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

127
06.2.24

02/2/24
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची

2/2/2024
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
झारखंड शिक्षा परियोजना, राँची